वित्त मंत्री का बजट भाषण

माननीय अध्यक्ष महोदय,

मुझे दूसरी बार राज्य का आय-व्ययक सदन में प्रस्तुत करने का सुअवसर मिला है। इसके लिए मैं आपके प्रति, अपने युवा, कर्मठ व प्रगतिशील माननीय मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी के प्रति तथा झारखण्ड के अवाम के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।

2. अध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर उन लोगों के प्रति सरकार की ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूँगा जिन्होंने झारखण्ड आन्दोलन के दौरान कुर्बानियाँ दीं। नि:संदेह झारखण्ड आंदोलन के पीछे एक सोच थी, एक सपना था। सपना था कि झारखण्ड के लोगों का अपना राज्य होगा, अपना शासन होगा और वे अपने भाग्य के स्वयं विधाता होंगे। उनका स्वप्न था कि झारखण्ड एक खुशहाल प्रदेश होगा जिसमें सभी को रोटी, कपड़ा व मकान मिलेगा, सम्मान मिलेगा।

3. झारखण्ड बनने से हमारा पहला सपना साकार हुआ। दूसरे स्वप्न को पूरा करने के लिए हम पिछले पाँच साल से प्रयत्नशील हैं और मुझे पूरी आशा है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी के कुशल नेतृत्व में हम दूसरे स्वप्न को भी साकार करने में कामयाब होंगे।

4. अध्यक्ष महोदय, इन पाँच वर्षों में, सदन जानता है और यहाँ के लोग भी साक्षी हैं कि राज्य में सभी क्षेत्रों में काफी प्रगति हुई है, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर गरीबों के उत्थान का, सड़क निर्माण का काम हो या फिर विद्यालयों तथा सामुदायिक भवनों के निर्माण का। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमने अनेकों महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। आज प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक हैं चिकित्सालयों में चेकित्सक हैं और सरकार जनमानस तक पहुँचने का सरसक प्रयास कर रही है। परन्तु, यह बात भी हम स्वीकार करते हैं कि अभी कुछ करना बाकी है।

5. अध्यक्ष महोदय, बजट बनाने के क्रमे में मैंने किसानो तथा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं उद्योगों के प्रतिनिधियों से बातचीत की है। उनकी समस्याओं को भी बजट बनाते समय ध्यान में रखा गया है।

6. अध्यक्ष महोदय, झारखण्ड में लगभग 78 प्रतिशत आबादी गाँवों में रहती है इसलिए गाँवों के विकास के बिना झारखण्ड के विकास की कल्पना नही की जा सकती। सरकार ने 2006-07 का आय व्ययक बनाते समय इस तथ्य को ध्यान में रखा गया है, जिसे मैं आज प्रस्तुत कर रहा हूँ।

7. ग्रामीण विकास के अनेकों आयाम हैं। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, ऊर्जा, पेयजल तथा गरीबी उन्मूलन से संबंधित कार्यक्रम शामिल हैं। गाँवों के संतुलित विकास के लिए सरकार इन सभी कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू कर रही है। ग्रामीण विकास के लिए वित्तीय वर्ष 2005-06 में 1637.18 करोड़ का उपबंध रखा गया था। वर्ष 2006-07 में इस क्षेत्र के लिए लगभग 1749.00 करोड़ का उद्व्यय रखा जा रहा है जो गत वर्ष की अपेक्षा 112.00 से अधिक है। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में भारत सरकार के सहयोग से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम जिसे "राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम" के नाम से जाना जाता है, प्रदेश में शुरू किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत झारखण्ड राज्य के बीस जिले लिये गये हैं। देवघर तथा पूर्वी सिंहभूम जिले इस कार्यक्रम से आच्छादित नहीं है। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि इन दोनों जिलों में भी भारत सरकार की तर्ज पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम अपने संसाधनों से चलायेगी ताकि 22 जिलों में ऐसे सभी लोगों को साल भर में 100 दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जा सके जो इसके लिए अपने-आप को पंजीकृत करायेंगे।

8. अध्यक्ष महोदय, मैं आशा करता हूँ कि यह योजना हमारे उन हजारों मजदूरों को पलायन से बचायेगी जो हर वर्ष रोजगार की तलाश में अन्य राज्यों में जाते हैं और कुछेक को प्रताड़ना का भी शिकार होना पड़ता है। साथ ही, प्रवासी मजदूरों, बाल श्रमिकों तथा विकलांगों का सर्वेक्षण कराया जायेगा ताकि इन वर्गों के लिए विशेष कार्यक्रम बनाया जा सके। बीड़ी मजदूरों के लिए पाकुड़ तथा चक्रधरपुर में अस्पताल स्थापित किये जायेंगे।

9. चूँकि झारखण्ड की ज्यादा आबादी गाँवों में है और गाँवों में मुख्य पेशा खेती-बाड़ी है, इसलिए कृषि के साथ-साथ सहकारिता, सिंचाई तथा गव्य विकास एवं मत्स्य पालन अनेक ऐसे कार्यक्रम है जिनका ग्रामीणों से सीधा सम्बन्ध है। वित्तीय वर्ष 2005-06 में इस प्रक्षेत्र में 924.00 करोड़ को उद्व्यय रखा गया था। वर्ष 2006-07 में 1166.00 करोड़ का उद्व्यय प्रस्तावित है जो गत वर्ष की अपेक्षा 242.00 करोड़ की बढ़ोत्तरी है। कृषि कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन से, खाद्यान्न की कमी दूर होगी और उसमें हम स्वावलम्बी हो सकेंगे। इस वित्तीय वर्ष में 1.00 लाख किसान डायरियों का वितरण किया गया है और 25. 00 लाख मिट्टी जाँच कार्ड भी उपलब्ध कराये गये, जैसा कि मैंने भाषण में कहा था। अगले वित्तीय वर्ष में दो लाख किसान डायरियाँ वितरित करने का लक्ष्य है। साथ-ही-साथ 50,000 मिट्टी जाँच कार्ड देने का भी प्रस्ताव है। प्रयास रहेगा कि प्रत्येक गाँव में कम से कम एक किसान के पास मिट्टी जाँच कार्ड रहे ताकि उस गाँव के सभी किसान उसका लाभ उठा सकें। राज्य सरकार ने किसानों के बीच खेती-बाड़ी को बढ़ावा देने के उद्येश्य से पारितोषक देने की योजना बनाई है जिसके अन्तर्गत पहला ईनाम 5.00 लाख रुपये तथा तीसरा ईनाम 2.00 लाख रुपये को होगा।

10. विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति प्रणाली से किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के लिए राज्य सरकार विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति प्रणाली लागू करने जा रही है।

11. अध्यक्ष महोदय, झारखण्ड देश का पहला राज्य है जहाँ जैविक खेती की जा रही है। सरकार राज्य को "हर्बल स्टेट" बनाने के प्रयास में जुटी है, जहाँ जड़ी-बुटियों का व्यावसायिक उत्पादन किया जायगा। राज्य सरकार खनिज आधारित उद्योगों के साथ-साथ गाँव के आम नागरिक को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ना चाहती है।

12. अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के बगैर मनुष्य अधूरा है शिक्षा मनुष्य की एक अहम जरूरत है। इसलिए राज्य सरकार शिक्षा को प्राथमिकता देती है। वित्तीय वर्ष 2005-06 में इस क्षेत्र हेतु 1875 करोड़ को उद्व्यय रखा गया था। वित्तीय वर्ष 2006-07 में 2154 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो 279 करोड़ की वृद्धि है। अध्यक्ष महोदय, यह प्रावधान कुल बजट का 14 प्रतिशत है और इसी से सरकार की शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता परिलक्षित होती है।

13. सर्व शिक्षा अभियान के तहत् राज्य सरकार की उपलब्धि सराहनीय रही है। राष्ट्रीय स्तर पर भी इस उपलब्धि को सराहा गया है। सदन अवगत है कि वर्ष 2002-03 में 6 से 14 आयु वर्ग के 13.89 लाख बच्चे शिक्षा से अछूते थे। राज्य सरकार ने इस बीच लगभग 10 लाख बच्चों को विद्यालयों में लाने का काम किया है। अभी भी 3.88 लाख बच्चे विद्यालयों से बाहर हैं। सरकार की योजना है कि वर्ष 2007 के अन्त तक छूटे हुए बच्चों को भी विद्यालय में लाया जाय।

14. सर्व शिक्षा अभियान के तहत् प्रत्येक ऐसे टोले, जिनके एक किलोमीटर के दायरे में विद्यालय उपलब्ध नहीं था, वहाँ शिक्षा गारंटी केन्द्र की स्थापना की गयी है। अतएव अब कोई भी ऐसा गाँव नहीं बचा है जिसके एक किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक विद्यालय/शिक्षा गारंटी उपलब्ध नहीं हो।

15. इस अभियान के प्रारम्भ होने के पूर्व छात्र शिक्षक का अनुपात 75:1 था। सर्व शिक्षा अभियान के तहत् शिक्षा गारंटी केन्द्र, प्राथमिक विद्यालयों, मध्य विद्यालयों में 59169 पारा शिक्षकों की नियुक्ति की गयी है जिससे छात्र शिक्षक का अनुपात 42:1 हो गया है, जो राष्ट्रीय औसत से बेहतर है।

16. झारखण्ड राज्य में नौ ऐसे प्रखण्ड थे जहाँ एक भी उच्च विद्यालय नहीं था। इन प्रखण्डों में अवस्थित एक मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करने की स्वीकृति राज्य सरकार ने प्रदान की है। इसके अतिरिक्त झारखण्ड राज्य में अभी तक केवल 44 प्रखण्डों में ही +2 विद्यालय की सुविधा उपलब्ध थी जिसके कारण शेष प्रखण्डों के छात्र-छात्राओं को इस सुविधा से वंचित रहना पड़ रहा था। राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए 167 प्रखण्डों में अवस्थित एक-एक उच्च विद्यालय को +2 विद्यालय में उत्क्रमित करने की स्वीकृति प्रदान की है।

17. राज्य में स्नातकोत्तर स्तर तक बालिकाओं को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराने की योजना भी सरकार ने बनायी है। इसके अतिरिक्त वैसी ग्रामीण बालिकाएँ, जिन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी है, की शिक्षा हेतु 74 कस्तूरबा गाँधी आवासीय विद्यालयों की स्थापना की गयी है। इन विद्यालयों में लगभग 5200 छात्राओं का नामांकन हो चुका है। यह कार्यक्रम महिलाओं की साक्षरता दर बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगा।

18. इसके अतिरिक्त झारखण्ड राज्य के युवकों को विधि के क्षेत्र में बेहतर शिक्षा देने के उद्देश्य से नेशनल लॉ स्कूल स्थापित करने की भी योजना है। पलामू प्रमण्डल में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नीलाम्बर-पीताम्बर विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2006-07 में की जायेगी।

19. अध्यक्ष महोदय, सदन अवगत है कि राज्य को राष्ट्रीय खेलकूद, 2007 के आयोजन की मेजबानी मिली है। इसकी सभी तैयारियाँ चल रही हैं। इस आयोजन से झारखण्ड राज्य के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक पहचान बनाने के लिए एक सुनहरा अवसर मिलेगा। राज्य सरकार भी चाहती है कि झारखण्ड के खिलाड़ी विभिन्न प्रतिस्पर्द्धाओं में ज्यादा-से-ज्यादा पदक जीतें। इस निमित्त प्रतिभाशाली खिलाड़िओं को प्रोत्साहित करने के लिए 8000/- प्रति माह की दर से छात्रवृति देने की व्यवस्था की जायेगी। साथ ही राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षकों को रखा जायेगा।

20. अध्यक्ष महोदय, कृषि के साथ-साथ हमें उद्यागों पर भी विचार करना होगा। औद्योगिकीकरण किये बिना जीविका के लिए पूर्णत: खेती पर ही निर्भर रहने वाले लोगों की संख्या कम नहीं हो सकेगी। खेती पर पड़ने वाले आवश्यकता से अधिक बोझ को कम करने के लिए ही नहीं, अपितु खेती का उचित विकास हो, इस हेतु भी औद्योगिकीकरण की नितान्त आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त बढ़ती हुई जनसंख्या की नित्योपयोगी वस्तुओं की आवश्यकता पूरी करने के लिए औद्योगिकीकरण की आवश्यकता है। अब तक हमारा ध्यान प्रमुखत: कच्चे माल के उत्पादन पर था। पक्के माल के लिए हम अन्य देशों पर निर्भर रहते हैं। इस दृष्टि से स्वावलम्बी होने के लिए भी औद्योगिकीकरण का विचार करते समय बड़े एवं छोटे उद्योगों का अनुपात, उनका कार्य क्षेत्र, आपसी सम्बन्ध, गुण-दोष आदि प्रश्न उपस्थित हैं। विकासशील देशों की मिली जुली अर्थव्यवस्था में इन दोनों प्रकार के उद्योगों के लिए स्थान है।

21. अध्यक्ष महोदय, हमारे युवा मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी के नेतृत्व में उद्योग स्थापित करने का एक माहौल बना है। न केवल झारखण्ड की जनता ने बल्कि, राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय स्तर के उद्योगपतियों ने इनके कुशल नेतृत्व को सराहा है। इसी का परिणाम है कि 41 एम०ओ०यू० हुए हैं जिनमें लगभग 1,90,00,000 करोड़ रू० की राशि सन्निहित है। नि:संदेह इन उद्योगों को स्थापित होने से झारखण्ड में न केवल उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि यहाँ के लोगों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे और आर्थिक खुशहाली होगी।

22. अध्यक्ष महोदय, उद्योगों की स्थापन को लेकर विभिन्न क्षेत्रों में अनेक शंकाएँ व्यक्त की जा रही हैं। पुनर्वास कैसे हो, उसकी रूप-रेखा क्या हो के बारे में माननीय मुख्यमंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलायी थी। इस बैठक को बुलाने के पीछे सरकार की मंशा थी कि इस विषय पर सभी राजनीतिक दलों से विचार-विमर्श कर एक सर्वमान्य नीति तय की जाय। किन्हीं कारणों से कुछ राजनीतिक दलों के हमारे साथियों ने भाग नहीं लिया। हम पुन: सभी के साथ विचार-विमर्श करने का इरादा रखते हैं। मैं सदन को तथा

सदन के माध्यम से झारखण्ड के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुंडा की सरकार के लिए झारखण्डवासियों का हित सर्वोपरि है और उससे किसी तरह का कोई भी समझौता नहीं किया जायेगा।

23. ऑटोमोबाईल एवं ऑटो कम्पोनेंट विशिष्ट आर्थिक जोन की स्थापना आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में 90 एकड़ भूमि में किये जाने के प्रस्ताव पर भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त की गयी है। इस योजना का कार्यान्वयन पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशीप के आधार पर किया जायेगा।

24. राज्य सरकार द्वारा उद्योगों के योजनाबद्ध विकास हेतु तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था कराने की योजना है ताकि उद्योगों को प्रशिक्षित कामगार तथा टूल उत्पादन में सहायता प्रदान कराई जा सके। इससे उद्योगों की उत्पादन लागत भी कम होगी। राँची एवं दुमका में क्रमशः रू० 21.39 तथा रू०17.72 करोड़ की अनुमानित लागत पर टूल रूम की स्थापना की जा रही है।

25. उद्योग स्थापित करने के लिए अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता पड़ती है। पूँजी निवेशकों को इस निमित्त सहायता हेतु सरकार ने "लैंड बैंक" स्थापित किया है जिसके लिए अगले वित्तीय वर्ष में 20.00 करोड़ रू० का प्रावधान किया गया है। "लैंड बैंक" में न केवल सरकारी भूमि शामिल होगी बल्कि रैयत अपनी जमीन भी बेच सकते हैं। अभी तक 3000 एकड़ से अधिक रैयत भूमि के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्राप्त हो चुके हैं।

26. कर्नाटक राज्य का नाम लेते ही बैंगलोर के रेशम की याद आ जाती है। वस्तुतः रेशम बैंगलोर की पहचान बन गयी है। हमारे यहाँ कुचई तसर रेशम उत्पादित होती है। सरकार उसे बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रही हैं सरकार मानती है कि झारखण्ड की कुचई तसर सिल्क राष्ट्रीय तथा अन्तराष्ट्रीय स्तर पर जल्दी ही अपनी पहचान बनायेगी। वर्ष 2006-07 में इस परियोजना के अन्तर्गत 500 हेक्टेयर में कुचई तसर रेशम का वनरोपण किया जायेगा जिससे 2250 कीट पालक लाभान्वित होंगे। इससे 7.5 मिट्रीक टन रिल्ड तथा 3.7 मिट्रीक टन स्पन सूत का उत्पादन होने की सम्भावना है। अगले वर्ष झारखण्ड में रेशम वस्त्र को कुचई सिल्क ब्रांड नाम से नामित करने के लिए वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार की नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, कोलकाता के द्वारा परियोजना तैयार करायी जायेगी। साहेबगंज तथा गोड्डा स्थित भगैया प्रखण्ड के गाँवों में चल रहे रेशम में पोस्ट कोकून कार्यों का अध्ययन कर यहाँ के रेशम उत्पादकों को उन्नत रिलिंग, स्पीनिंग एवं फिनिसिंग का कार्य किया जायेगा। इस कार्य में नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ डिजाईन, अहमदाबाद का सहयोग लिया जायेगा।

27. अध्यक्ष महोदय, अच्छे स्वास्थ्य के बगैर जीवन नीरस लगता है। कोई कितना अमीर गरीब क्यों न हो बीमारी का दर्द सभी का बराबर है। इसलिए स्वास्थय सेवाएँ राज्य को स्वस्थ और आगे बढ़ाने में काफी हद तक सहायक हो सकती हैं। विशेषकर गरीब लोग चिकित्सा के अभाव में, दवा के अभाव में पीड़ा में न रहें यह सरकार की मंशा है। इस वर्ष इस क्षेत्र में 868 करोड़ रुपये का उपबंध रखा गया है जिसे अगले वर्ष के लिए बढ़ाकर 972 करोड़ रूपये का प्रस्ताव दिया गया है।

28. सरकार द्वारा सुदूर ग्रामों में रहने वाले तथा समाज के कमजोर वर्गों को स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार के अधीन चल रही स्वास्थ्य संरचना को सुव्यवस्थित एवं सुदृढ़ करने के साथ-साथ नये कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्थापित हेल्प लाईन से विभाग में नयी कार्य संस्कृति स्थापित हुई है। सरकार द्वारा चलाये गये कैच-अप-राउण्ड को देश तथा विदेश में सराहा गया है।

29. गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली गर्भवती महिलाओं के सुरक्षित प्रसव एवं नवजात शिशुओं के प्रतिरक्षण को बढ़ावा देने के लिए "मुख्यमंत्री जननी शिशु स्वास्थ्य अभियान" का शुभारम्भ कूपन व्यवस्था के तहत् किया गया है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाएँ, निजी क्षेत्रों के अस्पताल में भी कूपन के माध्यम से प्रसव सुविधाएँ प्राप्त कर सकेंगी।

30. राज्य में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों सहित पूरे समुदाय के लिए निजी क्षेत्र के माध्यम से स्वास्थ्य योजना को सर्व स्वास्थ्य मिशन ट्रस्ट के माध्यम से कार्यान्वित किया जायेगा। इस ट्रस्ट में राज्य की प्रमुख भूमिका होगी तथा राज्य में निवेश करने वाले बड़े उद्योग समूह इसके ट्रस्टी होंगे।

31. स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास में सरकारी एवं गैर सरकारी प्रयासों का समन्वय कर उन्नयन करने के लिए "विधानसभा क्षेत्र स्वास्थ्य सुविधा ट्रस्ट" के गठन का प्रस्ताव है। इस ट्रस्ट के माध्यम से विधायक कोष की सहायता से अस्पतालों की स्थापना कर स्वास्थ्य सुविधाओं का अधिकतम विस्तार करने की योजना है।

32. राज्य में विशेषज्ञता अस्पतालों को स्थापित करने के लिए निजी क्षेत्र में चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए संगठनों को सस्ता ऋण देने की भी योजना है। इस योजना के अंतर्गत सस्ते ऋण के रूप में दी गयी राशि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों को निजी अस्पतालों द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली चिकित्सा सुविधाओं की भरपाई करेगी।

33. इसी प्रकार राज्य में चिकित्सा महाविद्यालय खोलने के लिए भी विशेष योजना बनायी जा रही है, जिसमें निजी संस्थानों को राज्य में चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने में प्रोत्साहन मिलेगा।

34. अध्यक्ष महोदय, अभी तक मैंने ग्रामीण विकास की बात की। परन्तु संतुलित विकास के लिए शहरी विकास भी आवश्यक है। इसलिए हमारी सरकार शहरी विकास के प्रति सजग है।

35. विगत वर्षों में शहरों की आधारभूत संरचना सुदृढ़ करने हेतु नगर निकायों को अनुदान एवं ऋण दिया जाता रहा है। संविधान के अन्तर्गत नगर निकाय तृतीय स्तर पर शहरी प्रशासन के लिए जिम्मेदार हैं। राज्य सरकार शीघ्र ही चुनाव कराकर इन निकायों को जनता के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए नये सिरे से प्रतिष्ठापित करेगी।

36. इन निकायों को प्रशासनिक रूप से सक्षम बनाने के लिए राष्ट्रीय शहरी अध्ययन संस्थान के क्षेत्रीय संस्थान लखनऊ को सचिवालय स्तर, निदेशालय स्तर, नगर निवेशन संगठन तथा स्थानीय शहरी निकायों की सांगठनिक ढाँचे का अध्ययन कर एक स्वरूप परामर्शित करने के लिए नियुक्त किया गया है एवं उनकी अनुशंसाओं के आधार पर प्रशासनिक ढाँचे को लागू किया जायेगा। राज्य के तीन शहर राँची, धनबाद एवं जमशेदपुर जवाहरलाल नेहरू शहरी पुनरूत्थान मिशन के अन्तर्गत चयनित हैं। इन शहरों के लिए "सिटी डेवलपमेंट प्लान" बनाने के लिए परामर्शियों का चयन अंतिम चरण में है। इसके साथ-साथ छः प्रमुख शहरों यथा राँची, जमशेदपुर, धनबाद, देवघर, बोकारों एवं हजारीबाग में वृहद् मास्टर प्लान बनाने के लिए भी परामर्शियों का चयन किया जा रहा है। विभिन्न शहरों की आज की इन्फ्रास्ट्रक्चर की 13 विधाओं को चिह्नित कर उन परामर्शिओं की एक सूची तैयार की है, जिनके माध्यम से पी०पी०आर०, डी०पी०आर०, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इत्यादि कार्य कराए जायेंगे। सभी प्रमुख शहरों में बाईपास, रिंग रोड तथा आवश्यकतानुसार फ्लाई ओवर इत्यादि बनाये जाने की योजना है।

37. शहरी प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए मानव संसाधन को प्रशिक्षित तथा नगर निकायों की आन्तरिक क्षमता का संवर्द्धन आवश्यक है। इस उद्देश्य की प्रतिपूर्ति के लिए प्रतिष्ठित औद्योगिक एवं तकनीकी संस्थानों की सहभागिता से "सोसाईटिज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट" के तहत "झारखण्ड शहरी योजना एवं प्रबंधन संस्थान" स्थापित किया जायेगा। निकायों के राजस्व संसाधन को सुदृढ़ करने के लिए उनके कानूनी प्रावधानों को लागू किया जाएगा। राज्य सरकार मॉडल म्युनिसिपल ऐक्ट को भी लागू करेगी ताकि निगम एवं अन्य निकायों का प्रशासन में एकरूपता आ सके।

38. शहरी क्षेत्रों के इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास में पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशीप पर बल दिया जायेगा। राँची शहर के बस स्टैंड तथा चार चिह्नित स्थलों पर पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप के आधार पर आधुनिक बाजार के निर्माण के लिए आई०एल० एंड एफ०एस० को विकसित करने के लिए प्रासेस मैनेजर के रूप में नियुक्त किया गया है। शहरी क्षेत्रों के जलाशयों को भी सुदृढ़ करने की विशेष योजना है तथा जलापूर्ति के लिए 31.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। आवश्यकतानुसार निकायों को हुडको के माध्यम से वित्त पोषण कराते हुए जलापूर्ति की व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाएगा। भूगर्भ जल के गिरते हुए स्तर से राज्य सरकार चिंतित है। सतही जल तथा भूगर्भ जल का प्रबंधन एक छत्तरी के अन्तर्गत किए जाने की आवश्यकता है। राज्य सरकार, जल संसाधन प्रबंधन नियामक प्राधिकार, समेकित जल संसाधन प्रबंधन तथा भूगर्भ जल के दोहन के लिए कानून बनाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। जल का प्रबंधन, विद्युत आपूर्ति की तर्ज पर उत्पादन संचरण तथा वितरण की अलग अलग इकाईओं के रूप में किया जाएगा।

39. राज्य सरकार सफाई कर्मचारियों द्वारा सिर पर मैला ढोने के अमानवीय परम्परा को समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प है। विगत वर्षों में अब तक लगभग 56.00 करोड़ रुपये इस कार्य के लिए स्वीकृत किए जा चुके हैं वर्ष 2006-07 में राज्य में कुल चिह्नित 97 सफाई कर्मचारियों को इस अमानवीय कृत्य से बाहर कर उन्हें पुनर्वासित करते हुए इस प्रथा को हमेशा के लिए समाप्त किया जाएगा।

40. अध्यक्ष महोदय, पिछले बजट सत्र में राज्य सरकार द्वारा घोषणा की गयी थी कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वाले परिवारों को दीनदयाल आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध कराये जायेंगे। उक्त योजना को क्रियान्वित करते हुए 250 करोड़ रुपये का ऋण हुडको से प्राप्त कर जिला स्तर पर योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत 1,62,415 आवास निर्माणाधीन है।

41. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों तथा महिला एवं बाल विकास प्रक्षेत्र में योजना के उपबंध को पिछले वर्ष की तुलना में 148 करोड़ रुपये की वृद्धि करते हुए वित्तीय वर्ष 2006-07 में 772 करोड़ का आय व्ययक प्रस्तावित है। इन वर्गों की आबादी आधी से ज्यादा है इसलिए इन्हें मुख्य धारा में शामिल करने के लिए विशेष प्रयास किये जा रहें हैं। सरकार इस क्षेत्र में अनेंकों कल्याणकारी योजनाएँ लागू कर रही है। आदिवासियों में आदिम जनजातियों की स्थिति भिन्न है। उनमें शिक्षा का अभाव है। बहुत कम नवयुवक ही स्नातक तक पहुंच पाते हैं। इनमें शिक्षा के प्रति अभिरूचि जगाने के उद्देश्य से सरकार ने निर्णय लिया है कि आदिम जनजाति के उन सभी नौजवानों का, जिन्होनें स्नातक या उससे ऊपर की डिग्री हासिल कर ली है, उन्हें सीधे नौकरी दी जाय। इस श्रेणी के 61 स्नातक तथा स्नातकोत्तर युवकों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा संबंधित जिलाधिकारी को भेज दी गयी है। 10 नवयुवकों की नियुक्ति हो भी गयी है। सभी आदिम जनजाति के सदस्यों को स्वास्थ्य कार्ड निर्गत करने की योजना है, जिसमें उनकी स्वास्थ्य विषयक सभी सूचनाएँ दर्ज रहेंगी। इस स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर राज्य सरकार द्वारा उनके लिए बेहतर चिकित्सा सुविधाएँ दी जायेंगी।

42. राज्य के आदिम जनजातियों में भूख से प्रभावित तथा सूखाग्रस्त क्षेत्र के गाँवों में 1500 "विलेज ग्रेन बैंक" बनाने का प्रस्ताव है। प्रत्येक विलेज ग्रेन बैंक में 40 परिवारों के लिए 40 क्विंटल खाद्यान्न रखा जायेगा। जरूरत के अनुसार एक परिवार को एक समय में एक क्विंटल खाद्यान्न उधार दिया जायेगा और वह एक साल के अन्दर बिना सूद के एक क्विंटल खाद्यान्न बैंकों को वापस कर देंगे। 40 क्विंटल खाद्यान्न भारत सरकार के द्वारा मुफ्त दिया जायेगा।

43. अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के नवयुवकों को नौकरी एवं अन्य दूसरे प्रयोजनों के लिए जाति प्रमाण-पत्र की आवश्यकता पड़ती है। सरकार की योजना है कि राज्य के बारहवीं कक्षा या महाविद्यालयों में पढ़नेवाले सभी विद्यार्थियों को लेमीनेटेड जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाय ताकि शिक्षा एवं नौकरी के निमित्त इन्हें बार-बार कार्यालयों में नहीं जाना पड़े।

44. मेसों परियोजना आदिवासियों के विकास को केन्द्रित कर बनायी गयी है, परन्तु अनुभव के आधार पर इस योजना को और सुदृढ़ करते हुए नया स्वरूप देने की आवश्यकता है। इसलिए आदिवासियों के लिए बनायी गयी इस योजना के स्वरूप को बदलकर अब इसे समेकित जनजाति विकास कार्यक्रम का रूप दिया जायेगा और योजनाओं का निरूपण, अनुश्रवण एवं क्रियान्वयन हेतु समेकित जनजाति विकास प्राधिकार का गठन किया जायेगा।

45. वित्तीय वर्ष 2006-07 में झारखण्ड राज्य के अछूते गाँवों में 6683 नये आंगरबाड़ी केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर एक आंगरबाड़ी सेविका तथा सहायिका का चयन किया जायेगा। इस प्रकार इस योजना से 12366 ग्रामीण महिलाओं को रोजगार मिलेगा।

46. वर्त्तमान में आंगरबाड़ी सेविका/सहायिका को भारत सरकार द्वारा क्रमशः 1000/-रु० तथा 500/-रु० एवं झारखण्ड सरकार द्वारा क्रमशः 250/- रु० तथा 100/-रु० मानदेय का भुगतान किया जाता है। राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि वित्तीय वर्ष 2006-07 से राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली मानेदय राशि में 100/-रु० की बढ़ोत्तरी की जाय।

47. अध्यक्ष महोदय, महिलाएँ कुल आबादी का लगभग 50 प्रतिशत हैं। इनके सशक्तिकरण के बिना समग्र विकास संभव नहीं है। ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से सरकार "स्वयं सहायता समूह" बना रही है। सरकार के इस प्रयास के सराहनीय परिणाम भी सामने आने लगे हैं। अभी तक लगभग 40 हजार "स्वयं सहायता समूहों" का गठन किया जा चुका है। इन समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिलाएँ आत्मनिर्भर तो हो ही रही हैं, साथ ही समाज में फैली कुरीतियों के विरूद्ध आवाज बुलन्द कर रही हैं। "स्वयं सहायता समूहों" के माध्यम से ग्रामीण महिलाएँ अपने आर्थिक एवं सामाजिक विकास का एक नया इतिहास लिख रही हैं।

48. राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि विकलांग व्यक्तियों को 200/-रु० की दर से प्रति माह सम्मान राशि दी जाय। यह योजना स्वामी विवेकानन्द निःशक्त स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना के नाम से जानी जायेगी। वर्ष 2006-07 के बजट में इसके लिए 47.75 करोड़ रुपये को प्रावधान रखा गया है।

49. राज्य के विभिन्न नदी/नालों पर श्रृखंलाबद्ध चेक डैम के निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया गया है। 950 माइक्रो लिफ्ट योजनाओं को 2005-06 में लिया गया है, जिसे मार्च में ही पूरा कर दिया जयेगा। वर्ष 2006-07 में 1000 बड़े व्यास के कूप एवं 84 श्रृखंलाबद्ध चेक डैम लिये जा रहें हैं। जून, 2006 तक तीन मध्यम सिंचाई योजनाओं यथा कतरी मध्यम सिंचाई योजना, धनसिंह टोली मध्यम सिंचाई योजना एवं कंसजोर मध्यम सिंचाई योजना को पूर्ण करके सिंचाई उपलब्ध कराया जायेगा। आगामी खरीफ से सुवर्ण रेखा बहुद्देशीय परियोजना एवं अजय बराज परियोजना से भी आंशिक सिंचाई उपलब्ध करायी जायेगी। वृहद् एवं मध्यम सिंचाई प्रक्षेत्र में 19000 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन जून, 2006 तक हो जायेगा।

50. झारखण्ड उन गिने-चुने राज्यों में से एक है जहाँ जी०आई०एस० मैपिंग द्वारा जल प्रबंधन का कार्य किया जा रहा है। जल प्रबंधन हमारे लिए चुनौती का विषय है और हमारी सरकार इस चुनौती को सहर्ष स्वीकार करती है। वैज्ञानिक ढंग से जल प्रबंधन के लिए कई उपाय किये जा रहे हैं।

51. राज्य सरकार प्रशासन में दक्षता, पारदर्शिता एवं संवेदनशीलता को बढ़ावा देने के लिए कृत संकल्प है। इस दिशा में ई-गवर्नेंस के माध्यम से कई महत्वपूर्ण योजनाएँ ली गयी हैं जिनमें परिवहन, कोषागारों, वाणिज्य कर विभाग, निबंधन विभाग तथा नगर निकायों का कम्प्यूटरीकरण

शामिल है। अगले वित्तीय वर्ष में राजस्व भू अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण तथा नक्शों का डिजीटाइजेशन की महत्वपूर्ण योजना ली जा रही हैं। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण विभागों यथा शिक्षा, कल्याण, समाज कल्याण, खाद्य एवं आपूर्ति, विधि और जल संसाधन में कम्प्यूटरीकरण के कार्यक्रम भी शामिल हैं।

52. राज्य सरकार के ई-गवर्नेंस के प्रयासों की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना की गयी है। हमारे परिवहन विभाग के कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम को उत्कृष्ट सेवा (Outstanding service delivery) के लिए हाल ही में रजत पदक मिला है।

53. राज्यव्यापी सूचना एवं प्रसार तंत्र (झारनेट) के संस्थापन में झारखण्ड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जहाँ BOOT) ऑपरेटर की नियुक्ति पूरी हो चुकि है। इसी वर्ष जून तक झारनेट का प्रथम चरण प्रारम्भ (Operational) हो जायेगा। इससे ई-गवर्नेंस के कार्यक्रमों को गाँव-गाँव तक पहुँचाया जा सकेगा।

54. अध्यक्ष महोदय, राज्य में भविष्य में होने वाले औद्योगिक विकास को ध्यान में रखते हुए विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग द्वारा उसके अनुरूप तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए दो नई योजनाओं का सूत्रीकरण किया जा रहा है। पॉलिटेक्निक/खनन संस्थानों में व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम की नयी योजना चालू की जायेगी। यह व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम उद्योग की नई आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किये जायेंगे। वर्ष 2006-07 के लिए प्रस्ताव है कि 10 पॉलिटेक्निक/खनन संस्थानों में इन कार्यक्रमों को चलाया जायेगा और लगभग 600 युवक-युवतियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

55. राज्य में तकनीकी शिक्षा के संस्थानों की कमी को देखते हुए अगले वर्ष संयुक्त प्रक्षेत्र में डिग्री एवं डिप्लोमा स्तरीय नये तकनीकी संस्थान स्थापित करने की दूसरी नयी योजना है। इन संस्थानों में सरकार एवं निजी क्षेत्र का बराबर योगदान रहेगा और इनमें चलाये जाने वाले डिग्री/डिप्लोमा कोर्स उद्योग आधारित माँग के अनुरूप होंगे। तीन इंजीरियरिंग कॉलेज एवं 10 पॉलिटेक्निक संस्थान अगले वर्ष खोले जायेंगे।

56. अध्यक्ष महोदय, अनावृष्टि के कारण पेयजल की समस्या के निदान हेतु सरकार तत्पर है। वित्तीय वर्ष 2005-06 में 256 करोड़ रुपये का प्रावधान है। इसके अन्तर्गत कुल 26,802 नये नलकूप लगाये जा रहे हैं। 70 नई जलापूर्ति योजनाओं का निर्माण किया जा रहा है। इनमें अधिकतर योजनाएँ जून, 2006 तक पूरी कर ली जायेंगी।

57. राज्य बनने के बाद कुल 86000 नलकूप पूरे राज्य में लगाये गये हैं। कुल 85 नई पाईप जलापूर्ति योजनाएँ भी पूर्ण की गयी हैं। वित्तीय वर्ष 2005-06 तक हजारीबाग, मेदनीनगर, राँची, धनबाद के शहरी इलाकों में 125 करोड़ रुपये की लागत से शहरी जलापूर्त्ति योजनाओं को सुदृढ़ किया गया है।

58. वित्तीय वर्ष 2006-07 में जलापूर्त्ति योजनाओं के लिए 300 करोड़ रुपये की राशि रखी गयी है। घटते भूगर्भ जल की स्थिति को देखते हुए सेटेलाइट के द्वारा उन स्थलों को चिह्नित किया जा रहा है जहाँ बरसात के पानी के रिचार्ज की आवश्यकता है। भविष्य में जो भी नलकूप गाड़े जायेंगे उनका स्थल चयन इसी सेटेलाइट मैप के आधार पर किया जायेगा।

59. झारखण्ड राज्य में विद्युतीकरण कार्यक्रम को सुदृढ़ करने हेतु झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड का विघटन कर निम्नलिखित चार नई कम्पनी गठन का निर्णय लिया गया है:-

(क) झारखण्ड विद्युत् विकास निगम, जो होल्डिंग कम्पनी होंगी।

(ख) झारखण्ड विद्युत् उत्पादन निगम,

(ग) झारखण्ड विद्युत् संचरण निगम,

(घ) झारखण्ड विद्युत् वितरण निगम।

60. राज्य में 9822 गाँवों का विद्युतीकरण हो चुका है। राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत राज्य

सरकार ने वर्ष 2009 तक सभी गाँवों को विद्युतीकरण करने का निर्णय लिया है। अभी तक 10 जिलों का विस्तृत योजना प्रतिवेदन तैयार हो गया है। शेष जिलों के प्रतिवेदन जून 2006 तक तैयार कर लिये जायेंगे।

61. झारखण्ड राज्य बनने के पश्चात् झारखण्ड राज्य की सड़कों में आशातीत सुधार हुआ है। अन्य राज्यों के लोग झारखण्ड की सड़कों की सराहना कर रहे हैं। हम इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाना चाहते हैं जिसके अंतर्गत अन्तर्राज्यीय पथों का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण, राज्य महत्व के सभी पथों को चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण, उद्योग, पर्यटन एवं तीर्थस्थलों को जोड़ने वाली सड़कों को चौड़ीकरण / सुदृढ़ीकरण शामिल है।

62. राजधानी राँची के पथों पर यातायात के दबाव को कम करने के लिए रिंग रोड बनाने की योजना है। झारखण्ड की उप राजधानी दुमका एंव पूर्वोत्तर राज्यों के लिए सुगम सम्पर्क हेतु गोविन्दपुर, जामताड़ा, दुमका, साहेबगंज पथ के राजपथ के अनुरूप दो लेन बनाने का प्रस्ताव है।

63. गंगा नदी के साहेबगंज घाट पर लगभग 4.5 कलोमीटर लम्बा पुल बनाने की योजना है जिस पर लगभग 800 करोड़ रु० खर्च होंगे। इस संबंध में बिहार सरकार से विचार विमर्श चल रहा है।

64. अध्यक्ष महोदय, गाँवों को आपस में जोड़ने के लए पुल-पुलिया निर्माण की एक महत्वाकांक्षी योजना राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही है। अभी तक लगभग 500 पुल-पुलिया निर्माण की योजना शुरू की गयी है जिसमें से लगभग 350 पूरी हो चूकी है। 5300 किलोमीटर लम्बी ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है।

65. झारखण्ड राज्य में लगभग 30 प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित हैं। लगभग 10 हजार गाँव किसी न किसी रूप से वनों से जड़े हुए हैं। गाँव वालों की वनों से सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त वन प्रबंधन समितियाँ बनायी गयी हैं जिनकी संख्या 10,000 से ऊपर है। राज्य सरकार वृक्षारोपण के कार्यक्रमों में तथा वनों संवर्द्धन के सभी कार्यों को संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से कराने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

66. झारखण्ड राज्य प्रकृति की गोद में बसा हुआ है और धार्मिक, सांस्कृतिक धरोहरों से परिपूर्ण है। यहां पर अन्तर्देशीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन की अपार संभावनाएँ मौजूद हैं। चालू वित्तीय वर्ष 2005-2006 में 2300.00 लाख रुपये लागत की कुल 66 छोटी-बड़ी योजनाएँ स्वीकृत की गयीं, जिसमें अनेक पर्यटन स्थल यथा-हिरणी जलप्रपात (प० सिंहभूम), सिद्धू-कान्हू जन्म स्थली (भोगनाडीह, साहेबगंज), हुण्डरू, बेतला, देवघर, कांके डैम, रजरप्पा, त्रिकुट रोप-वे, मधुवन-पारसनाथ, मसानजोर (दुमका), टैगोर हिल (राँची), आकर्षिणी (सरायकेला-खरसावाँ), नेतरहाट इत्यादि स्थलों से संबंधित विकास की योजनाएँ सम्मिलित हैं। आगामी वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिए 2500.00 लाख रुपये का उद्व्यय प्रस्तावित है। उधवा झील, राजमहल, बासुकीनाथ, खूँटी के समीप रानी जलप्रपात, बहरागोड़ा, हिरणी, लातेहार, लोहरदगा, बगोदर, तमाड़ में मार्गीय सुविधा (आराम) का निर्माण, मैक्लुस्कीगंज, मोती झरना, सूर्य मंदिर, बुण्डू, देवड़ी मंदिर, हुण्डरू फॉल की योजनाएँ सम्मिलित की गयी हैं।

67. अध्यक्ष महोदय, समाज में अमन-चैन बनाये रखना सरकार का एक अहम दायित्व है। इस कार्य में पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी से लगा हुआ है। हम सभी जानते हैं कि पुलिस में हजारों पद रिक्त पड़े हुए थे। विगत वर्षों में हमने बड़े पैमाने पर सिपाहियों की बहाली की है। इस वर्ष भी 2000 सिपाहियों की बहाली की है और महिला बटालियन की स्थापना की है। पुलिस को आधुनिक उपकरण भी उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

68. वित्तीय वर्ष 2006-07 में राज्य सरकार की अनुमानित आय 14778.95 करोड़ रु० है। इसके साथ अनुमानित रोकड़ प्रारंभ 210.00 करोड़ रु० है तथा लोक लेखा से बचत 364.80 करोड़ रु० होगी। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2006-07 में कुल संसाधन 15353.75 करोड़ रु० होंगे। इसके विरूद्ध वर्ष 2006-07 के लिए कुल 15394.84 करोड़ रु० का व्यय प्रस्तावित है।

69. अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2006-07 में विभिन्न राजस्व स्त्रोत से कुल प्राप्तियों का अनुमान निम्न प्रकार हैं-

		(करोड़ में)
1.	केन्द्रीय करों में राज्यों का हिस्सा	3817.52
2.	राज्य कर आय	3128.61
3.	अन्य राज्य स्त्रोत से आय	1433.51
4.	केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान	1764.83
5.	बाजार कर्जे एवं अन्य ऋण	4634.48
	कुल योग	**14778.95**

70. वित्तीय वर्ष 2006-07 में राज्य के कुल कर-राजस्व में 23.68 प्रतिशत की वृद्धि के साथ कुल अनुमानित प्राप्ति 6946.13 करोड़ आंका गया है। वाणिज्य कर विभाग राज्य की सबसे महत्वपूर्ण आय का स्त्रोत है। राज्य सरकार द्वारा बेहतर कर संग्रहण प्रबंधन के द्वारा बिना कोई नया कर लगाये वित्तीय वर्ष 2003-04 से 2005-06 तक कर संग्रहण में क्रमशः 17.65 प्रतिशत, 19.08 प्रतिशत एवं 20.41 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है।

71. अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन को सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि राज्य सरकार इस आय-व्ययक में कोई नया कर पस्तावित नहीं कर रही है।

72. देश के अधिकांश राज्यों द्वारा वित्त मंत्रियों की प्राधिकृत समिति के निर्णय के आलोक में दिनांक 1 अप्रैल, 2005 से मूल्यवर्द्धित कर (VAT) प्रणाली लागू कर दी गयी है। झारखण्ड सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त् दिनांक 1 अप्रैल, 2006 से वैट प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया है।

73. मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम 2005 में 50 लाख तक कारोबार करने वाले व्यवसायियों के लिए एक समाहितकरण की वैकल्पिक व्यवस्था की गयी है, जिसके अन्तर्गत व्यवसायी एकमुश्त कर भुगतान की सुविधा पा सकेंगे। फलतः छोटे-छोटे खुदरा व्यवसायी कैशमेमो या जटिल लेखा प्रक्रिया के संधारण से मुक्त रहेंगे। उक्त व्यवस्था में स्वकर निर्धारण का भी प्रावधान है, जो व्यवसायियों के हित में है। इस कर प्रणाली में वैधानिक प्रपत्रों की आवश्यकता भी नाममात्र होगी। इससे व्यवसायियों की एक बड़ी समस्या का समाधान हो जायेगा।

74. राज्य के कर- भिन्न राजस्व मदों में कुल प्राप्ति 1433.51 करोड़ है जो पिछले वर्ष से मात्र 3.08 प्रतिशत ही अधिक है। इसका मुख्य कारण भिन्न-कर राजस्व का मुख्य स्त्रोत कोल आदि खनिज पदार्थ से प्राप्त होने वाली रॉयल्टी टनेज आधारित होना है। झारखण्ड राज्य द्वारा भारत सरकार से लगातार आग्रह किया जा रहा है कि रॉयल्टी मूल्य आधारित होनी चाहिए। वित्त आयोग ने भी झारखण्ड राज्य की इस माँग का समर्थन किया है।

76. इस आय-व्ययक में गैर-योजना मद में अनुमानित व्यय 6794.39 करोड़ आंका गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में मात्र 1.29 प्रतिशत अधिक है। गैर योजना के अंतर्गत कमिटेड एक्सपेंडिचर के रूप में वेतन एवं पेंशन मद में न्यूनतम वार्षिक वृद्धि सामान्यतः 8-9 प्रतिशत होती है। परन्तु राज्य सरकार ने कुशल वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से गैर योजना व्यय के आकार की वृद्धि को 1.29 प्रतिशत तक सीमित रखने में सफलता प्राप्त की है।

77. राज्य योजना उद्व्यय में 44.12 प्रतिशत वृद्धि करते हुए वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिए योजना के आकार को 6500 करोड़ रखा गया है। आशा है कि इसके सदुपयोग से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों, उद्योगों एंव कृषि क्षेत्रों शिक्षा एवं स्वास्थ्य तथा सामाजिक एवं समाज कल्याण आदि क्षेत्रों के विकास में तेजी आयेगी।

78. राज्य सरकार ने योजना एवं गैर योजना मद के बजटीय उपबंध को संतुलित रखते हुए गैर योजना मद में 49.24 प्रतिशत तथा योजना मद में 50.76 प्रतिशत के उपबंध का प्रस्ताव दिया है। जो किसी भी विकासशील राज्य के लिए एक साहसिक एवं चुनौतीपूर्ण बजट है।

79. अध्यक्ष महोदय, झारखण्ड राज्य के सृजन के समय राज्य का विकास दर 5.39 प्रतिशत था जबकि वित्तीय वर्ष 2005-06 के समय विकास दर लगभग 9.10 प्रतिशत हो

गया है। आशा है कि वित्तीय वर्ष 2006-07 की समाप्ति दर यह दर बढ़कर 11.00 प्रतिशत हो जायगा।

80. राज्य का राजस्व घाटा, सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 1.29 प्रतिशत है। आशा है कि राज्य के अन्य क्षेत्रों में विकास के साथ साथ सकल घरेलू उत्पाद में भी वृद्धि होगी एवं अंतत: राज्य का राजस्व घाटा 1.00 प्रतिशत से भी नीचे आ जायगा। सकल वित्तीय घाटा, सकल घरेलू उत्पाद का 9.52 प्रतिशत है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिन्दु यह है कि ब्याज की अदायगियाँ कुल राजस्व संग्रहण का मात्र 7.66 प्रतिशत है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा के अनुसार ब्याज की अदायगियों को राजस्व संग्रहण के 30 प्रतिशत के नीचे रखा जाना है। राज्य सरकार के कुल दायित्व राजस्व संग्रहण के लगभग 200 प्रतिशत के अंतर्गत है। इसमें भी झारखण्ड, भारत सरकार के मापदंड के अनुरूप वित्तीय प्रबंधन में सफल रहा है।

81. अध्यक्ष महोदय, झारखण्ड के विकास के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुण्डा जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री से मिलकर झारखण्ड के लिए विशेष पैकेज देने का आग्रह किया है। माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री से भी इस बारे में भेंट की है। सरकार का प्रयास रहा है कि सभी स्रोतों से संसाधन जुटाये जायें। हमारा दृढ़ निश्चय है कि झारखण्ड की विकास -यात्रा में संसाधनों की कोई कमी नहीं होने दी जायेगी।

अध्यक्ष महोदय, सरकार ने झारखण्ड को आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण से पूर्णरूपेण विकसित करने का संकल्प लिया है। मुझे पूरी आशा है कि राज्य की जनता की शुभकामनाओं से और इस सदन के सक्रिय सहयोग से हम राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचने में सफला होंगे। एक आधुनिक झारखण्ड के निर्माण में कामयाब होंगे। झारखण्ड को देश के विकसित राज्यों की कतार में खड़ा करने के लक्ष्य को हासिल कर सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक चिर-परिचित गीत की कुछ पंक्तियाँ उद्धृत करना चाहूँगा-

"हम होंगे कामयाब,

हम होंगे कामयाब,

एक दिन"

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं वित्तीय वर्ष 2006-07 के आय-व्ययक को सदन में विचारार्थ प्रस्तुत करता हूँ।

अन्त में, मैं पुन: सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ।

(वित्तीय वर्ष 2006-2007 का बजट प्रस्तुत करने अवसर पर राज्य सरकार के वित्त मंत्री श्री रघुवर दास द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2006 को दिया गया बजट भाषण)

❑❑❑